जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 25.02.2023**

आज दिनांक 25.02.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री आर0के0 भारद्वाज** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

शराब की दूकान में चोरी करने के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा शराब की दूकान में चोरी करने के मामले में अभियुक्त सोनू पुत्र श्याममिलन निवासी सोनडिहा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

बरामदगीः- 02 अदद पिलास, 11 व 12 नंबर की रिंच, 2,000रु0 नकद।

पंजीकृत अभियोगः- मु0अ0सं0 118 / 2022 धारा 457 / 380 / 411 भादवि।

संक्षिप्त विवरणः- उक्त प्रकरण के संबंध में वादी श्री रामजीत मोदनवाल पुत्र कन्हैयालाल निवासी गागरगाड़ थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि प्रार्थी की विदेशी मदिरा की दूकान हैंसर बाजार संतकबीरनगर में स्थित है। दिनांक 24.02.2023 को मकान मालिक के जरिए सूचना मिली कि उसके दूकान पर चोरी हो गयी है और चोर दूकान के अन्दर है, मौके पर पहुंचकर देखा गया तो चोर दुकान के अन्दर नशे में धुत्त मिला व उसे होश नहीं था, उसके बाद उसका स्वास्थ्य केन्द्र मलौली लाकर इलाज कराया गया। घटना के संबंध में धनघटा पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को कब्जा पुलिस में लेकर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

किराने की दूकान पर चोरी का प्रयास करने के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा किराने की दूकान पर चोरी का प्रयास करने से संबंधित अभियुक्त नाम पता बादल पुत्र रामफेर निवासी पिपराबोरिंग थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। उक्त संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 67 / 2023 धारा 457 / 380 / 511 भादवि पंजीकृत किया गया है।

संक्षिप्त विवरणः- उक्त प्रकरण के संबंध में वादी श्री रामकुमार जायसवाल पुत्र बाबूलाल निवासी भिटवा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि उसकी भिटवा चौराहे पर एक किराने की दूकान है, जिसे रोज की भांति दिनांक 23.02.2023 की शाम को बंद करके घर चला गया था,

दिनांक 23/24 की रात में बादल पुत्र रामफेर उपरोक्त द्वारा उसके दूकान के ईंट की दीवाल को तोड़कर चोरी चोरी करने का प्रयास करने लगा, उसी समय उसके दूकान के पड़ोस के रहने वाले व्यक्तियों ने उसे पकड़ लिया, जबतक मैं वहां पर पहुंचा तबतक बादल उपरोक्त छुड़ाकर भाग गया था। घटना के संबंध में बखिरा पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1497 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल– पीआरवी 1497 को थाना धर्मसिंहवा क्षेत्रांतर्गत कटहा से इवेन्ट संख्या 11177 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में 01 व्यक्ति (भागीरथी निषाद पुत्र नागे निवासी कटहा थाना धर्मसिंहवा) जनपद सन्तकबीरनगर के घायल होने के संबंध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुंचकर मार्ग दुर्घटना में घायल को जरिए एंबुलेंश से सीएचसी मेहदावल भेजवाया गया तथा दुर्घटना के सम्बन्ध में थाना धर्मसिंहवा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 कर्मवीर सिंह, आ0 विरेन्द्र प्रसाद, हो0चा0 श्रीनिवास साहनी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 57 वाहनो से 56,100 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 25.02.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 57 वाहनों से 56,100 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।